107 Sunnaten Aur Aadaab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 349
Weekly Booklet : 349

अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ की किताब
"550 सुन्नतें और आदाब" की एक क़िस्त

107 सुन्नतें और आदाब

सफ़हात 20

इयादत की 33 सुन्नतें और आदाब 01
जनाज़े के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब 10
क़ब्र व दफ़्न की 22 सुन्नतें और आदाब 13
क़ब्रिस्तान की हाज़िरी की 21 सुन्नतें और आदाब 17

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल
मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

येह मज़्मून किताब "550 सुन्नतें और आदाब" के सफ़हा 72 ता 90 से लिया गया है।

107 सुन्नतें और आदाब

दुआए अ़त्तार : या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो कोई 20 सफ़हात का रिसाला : **"107 सुन्नतें और आदाब"** पढ़ या सुन ले उसे अपने सब से आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नतों से मह़ब्बत और उन पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे और मां बाप समेत उस की बे ह़िसाब मग़्फ़िरत फ़रमा।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** पाक उस पर दस रह़मतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (ترمذی، 2/28، حدیث:484)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

"इयादत करना नबिय्ये करीम की प्यारी प्यारी सुन्नत है" के तेंतीस ह़ुरूफ़ की निस्बत से इयादत की 33 सुन्नतें और आदाब

8 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** ﴿1﴾ عُوْدُوا الْمَرِيْضَ। या'नी मरीज़ की **इयादत** करो। (الادب المفرد، ص137، حدیث:518) ﴿2﴾ जो शख़्स किसी मरीज़ की **इयादत** के लिये जाता है तो **अल्लाह** पाक उस पर **पछत्तर ह़ज़ार** (75000) **फ़िरिश्तों** का साया करता है, उस के हर क़दम उठाने पर उस के

लिये एक नेकी लिखता है, हर क़दम रखने पर उस का एक गुनाह मिटाता है और एक दरजा बुलन्द फ़रमाता है यहां तक कि वोह अपनी जगह पर बैठ जाए, जब वोह बैठ जाता है तो रह़मत उसे ढांप लेती है और अपने घर वापस आने तक रह़मत उसे ढांपे रहेगी। (معجم اوسط، 3/222، حدیث:4396) ﴿3﴾ जो शख़्स किसी मरीज़ की **इयादत** को जाता है तो आस्मान से एक पुकारने वाला पुकारता है : तुझे बिशारत (या'नी ख़ुश ख़बरी) हो तेरा चलना अच्छा है और तू ने जन्नत की एक मन्ज़िल को अपना ठिकाना बना लिया। (ابن ماجہ، 2/192، حدیث:1443) ﴿4﴾ जो मुसल्मान किसी मुसल्मान की **इयादत** के लिये सुब्ह़ को जाए तो शाम तक उस के लिये सत्तर हज़ार (70000) फ़िरिश्ते इस्तिग़फ़ार (या'नी बख़्शिश की दुआ़) करते हैं और शाम को जाए तो सुब्ह़ तक सत्तर हज़ार (70000) फ़िरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उस के लिये जन्नत में एक बाग़ होगा। (ترمذی، 2/290، حدیث:971) ﴿5﴾ जिस ने अच्छे त़रीक़े से वुज़ू किया फिर सवाब की निय्यत से अपने मुसल्मान भाई की **इयादत** की तो उसे जहन्नम से 70 साल के फ़ासिले तक दूर कर दिया जाएगा। (ابوداؤد، 3/248، حدیث:3097) ﴿6﴾ जब तू मरीज़ के पास जाए तो उस से कह कि तेरे लिये दुआ़ करे कि उस की दुआ़ फ़िरिश्तों की दुआ़ की मानिन्द है। (ابن ماجہ، 2/191، حدیث:1441) ﴿7﴾ मरीज़ जब तक तन्दुरुस्त न हो जाए उस की कोई दुआ़ रद नहीं होती। (الترغیب والترہیب، 4/166، حدیث:19) ﴿8﴾ जब कोई मुसल्मान किसी मुसल्मान की **इयादत** को जाए तो 7 बार येह दुआ़ पढ़े : اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ۔[1] अगर मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जाएगी। (ابوداؤد، 3/251، حدیث:3106) ﴿9﴾ **इयादत की ता'रीफ़ :**

1... **तरजमा :** मैं अ़ज़मत वाले, अ़र्शे अ़ज़ीम के मालिक **अल्लाह** पाक से तेरे लिये शिफ़ा का सुवाल करता हूं।

लुग़वी मा'ना : बीमार के पास जा कर उस की मिज़ाज पुरसी करना (या'नी त़बीअ़त पूछना)। (उर्दू लुग़त, 13/604) ﴾10﴿ मरीज़ की **इ़यादत** करना सुन्नत है। अगर मा'लूम है कि **इ़यादत** के लिये जाने से उस बीमार पर गिरां (या'नी ना गवार) गुज़रेगा, ऐसी ह़ालत में **इ़यादत** के लिये मत जाइये (बहारे शरीअ़त, 3/505)। ﴾11﴿ अगर मरीज़ से आप के दिल में नाराज़ी या त़बीअ़त को इस से मुनासबत नहीं फिर भी **इ़यादत** कीजिये ﴾12﴿ इत्तिबाए़ सुन्नत की निय्यत से **इ़यादत** कीजिये अगर मह़ज़ इस लिये बीमार पुरसी (या'नी इ़यादत) की, कि जब मैं बीमार पड़ूं तो वोह भी मेरी इ़यादत के लिये आए तो सवाब नहीं मिलेगा ﴾13﴿ किसी की **इ़यादत** के लिये जाएं और मरज़ की सख़्ती देखें तो उस को डराने वाली बातें न करें मसलन तुम्हारी ह़ालत ख़राब है और न ही इस अन्दाज़ पर सर हिलाएं जिस से ह़ालत का ख़राब होना समझा जाता है ﴾14﴿ इ़यादत के मौक़अ़ पर मरीज़ या दुखी शख़्स के सामने मौक़अ़ की मुनासबत से अपने चेहरे पर रन्जो ग़म की कैफ़िय्यत ज़ाहिर कीजिये ﴾15﴿ बातचीत का अन्दाज़ हरगिज़ ऐसा न हो कि मरीज़ या उस के अ़ज़ीज़ को वस्वसा आए कि येह हमारी परेशानी पर ख़ुश हो रहा है! ﴾16﴿ मरीज़ के घर वालों से भी इज़्हारे हमदर्दी कीजिये और जो ख़िदमत या तआ़वुन कर सकते हों कीजिये ﴾17﴿ मरीज़ के पास जा कर उस की त़बीअ़त पूछिये और उस के लिये सिह़्ह़तो आ़फ़ियत की दुआ़ कीजिये ﴾18﴿ मुस्त़फ़ा जाने रह़मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मुबारक आ़दत येह थी कि जब किसी मरीज़ की **इ़यादत** को तशरीफ़ ले जाते तो येह फ़रमाते : لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ[1] (بخاری، 2/505، حدیث:3616) ﴾19﴿ मरीज़ से

1... **तरजमा :** कोई ह़रज की बात नहीं **अल्लाह** पाक ने चाहा तो येह मरज़ (गुनाहों से) पाक करने वाला है।

अपने लिये दुआ करवाइये कि मरीज़ की दुआ रद नहीं होती ﴾20﴿ **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : मरीज़ की पूरी **इयादत** येह है कि उस की पेशानी पर हाथ रख कर पूछे कि मिज़ाज कैसा है ? (ترمذی،4/334، حدیث:2740) ﴾21﴿ हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस हदीसे पाक के तहत फ़रमाते हैं : या'नी जब कोई शख़्स किसी बीमार की मिज़ाज पुरसी करने जावे तो अपना हाथ उस की पेशानी पर रखे फिर ज़बान से येह (या'नी आप की तबीअत कैसी है ?) कहे, इस से बीमार को तसल्ली होती है, मगर बहुत देर तक हाथ न रखे रहे, येह हाथ रखना इज़्हारे महब्बत के लिये है। (मिरआतुल मनाजीह, 6/358, मुलख़्ख़सन) ﴾22﴿ अगर पेशानी पर हाथ रखने से मरीज़ को तक्लीफ़ होती हो तो हाथ मत रखिये, और अगर मरीज़ अम्रद (बल्कि ग़ैरे अम्रद भी) हो और हाथ रखने से مَعَاذَاللّٰه "गन्दी लज़्ज़त" आती हो तो हाथ रखना गुनाह है, और अगर देखने से ऐसा होता हो तो देखना भी हराम है। ﴾23﴿ मरीज़ के सामने ऐसी बातें करनी चाहिएं जो उस के दिल को भली मा'लूम हों, बीमारी के फ़ज़ाइल और **अल्लाह** पाक की रहमत के तज़्किरे कीजिये ताकि उस का ज़ेहन सवाबे आख़िरत की तरफ़ माइल हो और वोह शिक्वा व शिकायत के अल्फ़ाज़ ज़बान पर न लाए ﴾24﴿ इयादत करते हुए मौक़अ की मुनासबत से मरीज़ को नेकी की दा'वत भी पेश कीजिये, ख़ुसूसन **नमाज़** की पाबन्दी का ज़ेहन दीजिये कि बीमारियों में कई नमाज़ी भी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हो जाते हैं ﴾25﴿ मरीज़ को **FGN चेनल** देखने की रग़बत दिलाइये और उस की बरकतों से आगाह कीजिये ﴾26﴿ मरीज़ को मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र की और ख़ुद सफ़र के क़ाबिल न हो तो अपनी तरफ़ से घर के किसी फ़र्द को सफ़र करवाने की तरग़ीब दिलाइये और

मदनी क़ाफ़िलों की वोह **मदनी बहारें** सुनाइये जिन में दुआ़ओं की बरकतों से मरीज़ को शिफ़ाएं मिली हैं ﴾27﴿ मरीज़ के पास ज़ियादा देर तक न बैठिये और न शोरो ग़ुल कीजिये हां अगर बीमार ख़ुद ही देर तक बिठाए रखने का ख़्वाहिश मन्द हो तो मुम्किना सूरत में आप उस के जज़्बात का एह़तिराम कीजिये ﴾28﴿ बा'ज़ लोगों की आ़दत होती है कि मरीज़ या उस के नुमायन्दे से मिलते हैं तो कुछ न कुछ इ़लाज बताते हैं और बा'ज़ तो मरीज़ से इसरार करते हैं कि मैं जो इ़लाज बता रहा हूं वोह कर लो, फ़ुलां दवा ले लो, ठीक हो जाओगे ! मरीज़ को चाहिये कि हर किसी का बताया हुवा इ़लाज न करे, कि "नीम ह़कीम ख़तूरए जान", किसी का बताया हुवा इ़लाज करने से पहले अपने त़बीब से मश्वरा कर ले। ख़बरदार ! जो माहिर त़बीब न होने के बा वुजूद मरीज़ों के इ़लाज में हाथ डाल देते हैं वोह गुनहगार होते हैं। आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : और ना अह्ल (या'नी जो माहिर त़बीब न हो उस) को इस (या'नी इ़लाज) में हाथ डालना ह़राम है और उस (या'नी इ़लाज में हाथ डालने) का तर्क (या'नी छोड़ देना) फ़र्ज़। (फ़तावा रज़विय्या, 24/206) ﴾29﴿ मरीज़ की इ़यादत के मौक़अ़ पर फल या बिस्किट वग़ैरा तोह़फ़े में लाना उ़म्दा काम है मगर न लाने की सूरत में इ़यादत ही न करना और दिल में येह ख़याल करना कि अगर कुछ न ले कर जाएगा तो वोह क्या सोचेंगे कि ख़ाली हाथ इ़यादत के लिये आ गए, ख़ाली हाथ भी इ़यादत कर लेनी चाहिये कि न करना सवाब से मह़रूमी का बाइ़स है ﴾30﴿ इ़यादत के लिये जाते हुए बा'ज़ लोग गुलदस्ते ले जाते हैं, येह भी जाइ़ज़ है मगर देखा गया है कि जिस को दिया उ़मूमन उस को

काम नहीं आता, लिहाज़ा वोह चीज़ गिफ़्ट (GIFT) में दी जाए जो काम आए। मश्वरतन अ़र्ज़ है कि गुलदस्ते की जगह या उस के साथ जहां मुनासिब हो वहां मक्तबतुल मदीना के कुछ **रसाइल** ले जा कर मरीज़ को पेश कीजिये ताकि वोह मुलाक़ातियों, (और अगर अस्पताल में हो तो) पड़ोसी मरीज़ों और उन के अ़ज़ीज़ों को तोहफ़तन दे सकें बल्कि ज़हे नसीब ! मरीज़ ख़ुद भी कुछ रसाइल हदिय्यतन मंगवा कर इस ग़रज़ से अपने पास रख कर सवाब कमाएं लेकिन रसाइल का इन्तिख़ाब सोच समझ कर करें ﴾31﴿ फ़ासिक़ की **इयादत** भी जाइज़ है, क्यूं कि **इयादत** हुक़ूक़े इस्लाम से है और फ़ासिक़ भी मुस्लिम है। (बहारे शरीअ़त, 3/505) ﴾32﴿ मुरतद और काफ़िर की इयादत जाइज़ नहीं। ﴾33﴿ बद मज़हब जिस की बद मज़्हबी कुफ़्र तक न पहुंची हो उस की इयादत करना मन्अ़ है।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

"सफ़ेद कफ़न में कफ़नाओ" के सोलह हुरूफ़ की निस्बत से कफ़न की 16 सुन्नतें और आदाब

6 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** ﴾1﴿ जो मय्यित को कफ़न दे तो उस के लिये मय्यित के हर बाल के बदले में एक नेकी है। (تاریخ بغداد، 4/263) हज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रऊफ़ मुनावी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه हदीसे पाक के इस हिस्से "जो मय्यित को कफ़न दे" के तहत फ़रमाते हैं : या'नी जिस ने अपने माल से मय्यित के कफ़न का इन्तिज़ाम किया। (التیسیر بشرح جامع الصغیر، 2/442) ﴾2﴿ जो मय्यित को कफ़न दे **अल्लाह** पाक उसे जन्नत के बारीक और मोटे रेशम का लिबास पहनाएगा (مستدرک، 1/ 690، حدیث:1380) ﴾3﴿ जो किसी मय्यित को नहलाए,

कफ़न दे, ख़ुश्बू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए उसे छुपाए वोह अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस दिन मां के पेट से पैदा हुवा था। (ابن ماجہ، 2/201، حدیث:1462) इस हि़स्सए ह़दीस "नाक़िस बात" से मुराद येह है कि जो बात ज़ाहिर करने के क़ाबिल न हो जैसे चेहरे का रंग सियाह हो जाना। ﴾4﴿ अपने मुर्दों को अच्छा कफ़न दो क्यूं कि वोह अपनी क़ब्रों में आपस में मुलाक़ात करते और (अच्छे कफ़न से) तफ़ाख़ुर करते (या'नी ख़ुश होते) हैं। (مسند الفردوس، 1/98، حدیث:317) ﴾5﴿ जब तुम में से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे अच्छा कफ़न दे। (مسلم، ص470، حدیث:943) ﴾6﴿ अपने मुर्दों को सफ़ेद कफ़न दो। (ترمذی، 2/301، حدیث:996)

कफ़न पहनाने की निय्यत

﴾7﴿ **कफ़न पहनाने की निय्यत : अल्लाह** पाक की रिज़ा पाने के लिये और अपनी मौत के बा'द ख़ुद को पहनाए जाने वाले कफ़न को याद करते हुए अदाए फ़र्ज़ के लिये मय्यित को सुन्नत के मुत़ाबिक़ कफ़न पहनाऊंगा ﴾8﴿ मय्यित को कफ़न देना "फ़र्ज़े किफ़ाया" है। (बहारे शरीअ़त, 1/817) या'नी किसी एक के देने से सब बरिय्युज़्ज़िम्मा हो गए (या'नी सब के सर से फ़र्ज़ उतर गया) वरना जिन जिन को ख़बर पहुंची थी और कफ़न न दिया वोह सब गुनाहगार होंगे।

मस्नून कफ़न

﴾9﴿ **मर्द का कफ़न :** (1) लिफ़ाफ़ा या'नी चादर (2) इज़ार या'नी तहबन्द (3) क़मीस या'नी कफ़नी। **औ़रत** के लिये इन तीन के साथ साथ मज़ीद दो येह हैं : (4) ओढ़नी (5) सीनाबन्द। (فتاویٰ ہندیہ، 1/160) ﴾10﴿ जो ना

बालिग़ हद्दे शह्वत[1] को पहुंच गया वोह बालिग़ के हुक्म में है या'नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं इसे भी दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिये जाएं तो अच्छा है और बेहतर येह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो। (बहारे शरीअ़त, 1/819) ﴾11﴿ सिर्फ़ उ़लमा व मशाइख़ को बा इ़मामा दफ़्न किया जा सकता है, आ़म लोगों की मय्यित को इ़मामे के साथ दफ़्नाना मन्अ़ है। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 4) ﴾12﴿ मर्द के बदन पर ऐसी ख़ुश्बू लगाना जाइज़ नहीं जिस में ज़ा'फ़रान की आमेज़िश (या'नी MIX) हो, औ़रत के लिये (ज़ा'फ़रान मिली हुई ख़ुश्बू) जाइज़ है। (बहारे शरीअ़त, 1/861) ﴾13﴿ जिस ने एह़राम बांधा (और इसी ह़ालत में वफ़ात पाई) है उस के बदन पर भी ख़ुश्बू लगाएं और उस का मुंह और सर कफ़न से छुपाया जाए। (बहारे शरीअ़त, 1/861)

कफ़न की तफ़्सील

﴾14﴿ (1) **लिफ़ाफ़ा** (या'नी चादर) : (येह) मय्यित के क़द से इतनी बड़ी हो कि दोनों त़रफ़ बांध सकें (2) **इज़ार** (या'नी तहबन्द) : चोटी (या'नी सर के शुरूअ़) से क़दम तक या'नी लिफ़ाफ़े से इतना छोटा जो बन्दिश के लिये ज़ाइद था (3) **क़मीस** (या'नी कफ़नी) : गरदन से घुटनों के नीचे तक और येह आगे और पीछे दोनों त़रफ़ बराबर हो इस में चाक (या'नी चीरा हुवा) और आस्तीनें न हों। मर्द व औ़रत की कफ़नी में फ़र्क़ है, **मर्द** की कफ़नी

---

1 ... हद्दे शह्वत लड़कों में येह (है कि) उस का दिल औ़रतों की त़रफ़ रग़बत करे और लड़की में येह कि उसे देख कर मर्द को उस की त़रफ़ मैलान (या'नी ख़्वाहिश) पैदा हो और इस का अन्दाज़ा लड़कों में (हिजरी सन के ह़िसाब से) बारह साल और लड़कियों में नव बरस है। (ह़ाशियए बहारे शरीअ़त, 1/819)

कन्धों पर चीरें और **औ़रत** के लिये सीने की त़रफ़ (4) **ओढ़नी :** तीन हाथ या'नी डेढ़ गज़ की होनी चाहिये (5) **सीनाबन्द :** पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर येह है कि रान तक हो। (बहारे शरीअ़त, 1/818, मुलख़्ख़सन) उ़मूमन तय्यार कफ़न ख़रीद लिया जाता है उस का मय्यित के क़द के मुत़ाबिक़ मस्नून साइज़ का होना ज़रूरी नहीं, येह भी हो सकता है कि इतना ज़ियादा हो कि इसराफ़ में दाख़िल हो जाए, लिहाज़ा एह़तियात़ इसी में है कि थान में से ह़स्बे ज़रूरत कपड़ा काटा जाए। अगर तय्यार कफ़न लेना पड़ा हो तो ज़ाइद कपड़ा काट कर रख लें, अगर येह कफ़न मय्यित के माल से लिया था तो ज़ाइद कपड़ा विरसे में तक़्सीम होगा ﴾15﴿ कफ़न अच्छा होना चाहिये या'नी मर्द ईदैन व जुमुआ़ के लिये जैसे कपड़े पहनता था और औ़रत जैसे कपड़े पहन कर मयके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिये।

(बहारे शरीअ़त, 1/818)

कफ़न पहनाने का त़रीक़ा

﴾16﴿ ग़ुस्ल देने के बा'द आहिस्ता से बदन किसी पाक कपड़े से पोंछ लीजिये ताकि कफ़न तर न हो, कफ़न को एक या तीन या पांच या सात बार धूनी दीजिये, इस से ज़ियादा नहीं, फिर इस त़रह़ बिछाइये कि पहले "**लिफ़ाफ़ा**" या'नी बड़ी चादर इस पर "**तहबन्द**" और इस के ऊपर "**कफ़नी**" रखिये, अब मय्यित को इस पर लिटाइये और **कफ़नी** पहनाइये, अब सर, दाढ़ी (और दाढ़ी न हो तो ठोड़ी) और बक़िय्या तमाम जिस्म पर ख़ुश्बू मलिये, वोह आ'ज़ा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाइये। फिर **इज़ार** या'नी तहबन्द लपेटिये, पहले बाईं या'नी उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से।

फिर **लिफ़ाफ़ा** भी इसी त़रह़ पहले बाईं या'नी उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटिये ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की त़रफ़ बांध दीजिये कि उड़ने का अन्देशा न रहे। **औ़रत** को "कफ़नी" पहना कर उस के बाल दो ह़िस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दीजिये और **ओढ़नी** आधी पीठ के नीचे से बिछा कर सर पर ला कर मुंह पर निक़ाब की त़रह़ डाल दीजिये कि सीने पर रहे कि उस का त़ूल (या'नी लम्बाई) आधी पीठ से सीने तक है और अ़र्ज़ (या'नी चौड़ाई) एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है फिर ब दस्तूर **इज़ार व लिफ़ाफ़ा** लपेटिये फिर सब के ऊपर **सीनाबन्द** पिस्तान के ऊपर से रान तक ला कर बांधिये। (मज़ीद तफ़्सीलात के लिये बहारे शरीअ़त जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 817 ता 822 का मुत़ालआ़ फ़रमाइये)

"जनाज़ा बाइसे इ़ब्रत है" के पन्दरह ह़ुरूफ़ की निस्बत से जनाज़े के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब

4 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : ﴿1﴾ जिसे किसी **जनाज़े** की ख़बर मिले वोह अहले मय्यित के पास जा कर उन की ता'ज़ियत करे **अल्लाह** पाक उस के लिये एक क़ीरात़ सवाब लिखे, फिर अगर **जनाज़े** के साथ जाए तो **अल्लाह** पाक दो क़ीरात़ अज्र लिखे, फिर उस पर नमाज़ पढ़े तो तीन क़ीरात़, फिर दफ़्न में ह़ाज़िर हो तो चार और हर क़ीरात़ कोहे उ़ह़ुद (या'नी उ़ह़ुद पहाड़) के बराबर है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/401, 47: عمدۃ القاری، 1/400، تحت الحدیث)

﴿2﴾ मुसल्मान के मुसल्मान पर छे ह़ुक़ूक़ हैं, (उन में से एक येह है कि) जब फ़ौत हो जाए तो उस के जनाज़े में शरीक हो। (مسلم، ص1192، حدیث: (2162) ملخصًا)

﴿3﴾ जब कोई **जन्नती शख़्स** फ़ौत हो जाता है, तो **अल्लाह** पाक ह़या

फ़रमाता है कि उन लोगों को अ़ज़ाब दे जो इस का जनाज़ा ले कर चले और जो इस के पीछे चले और जिन्हों ने इस की **नमाज़े जनाज़ा** अदा की। (مسند الفردوس، 1/282، حدیث:1108) ﴿4﴾ बन्दए मोमिन को मरने के बा'द सब से पहली जज़ा येह दी जाएगी कि उस के तमाम **शुरकाए जनाज़ा की बख़्शिश** कर दी जाएगी। (مسند بزار، 11/86، حدیث:4796) ﴿5﴾ **ह़ज़रते** दावूद عَلَيْهِ السَّلَام ने बारगाहे इलाही में अ़र्ज़ की : **या अल्लाह !** जिस ने सिर्फ़ तुझे राज़ी करने के लिये **जनाज़े** का साथ दिया, उस की जज़ा क्या है ? **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया : जिस दिन वोह मरेगा, फ़िरिश्ते उस के **जनाज़े** के साथ चलेंगे और मैं उस की **मग़्फ़िरत** करूंगा। (شرح الصدور، ص97) ﴿6﴾ **ह़ज़रते** इमाम मालिक बिन अनस رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه को बा'दे वफ़ात किसी ने ख़्वाब में देख कर पूछा : مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ या'नी **अल्लाह** पाक ने आप के साथ क्या सुलूक फ़रमाया ? कहा : एक कलिमे की वज्ह से बख़्श दिया जो ह़ज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللهُ عَنْه जनाज़ा देख कर कहा करते थे। (वोह कलिमा येह है :) سُبْحٰنَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ।[1] लिहाज़ा मैं भी **जनाज़ा** देख कर येही कहा करता था, येह कलिमा (कहने) के सबब **अल्लाह** पाक ने मुझे बख़्श दिया। (احیاء العلوم، 5/266 ملخصاً) ﴿7﴾ जनाज़े में **अल्लाह** पाक को राज़ी करने, नमाज़े जनाज़ा के फ़र्ज़ की अदाएगी, इ़ब्रत ह़ासिल करने, मय्यित और उस के अ़ज़ीज़ों की दिलजूई करने वग़ैरा अच्छी अच्छी निय्यतों से शिर्कत करनी चाहिये ﴿8﴾ **जनाज़े** के साथ जाते हुए अपनी मौत और अच्छे बुरे ख़ातिमे के बारे में सोचते रहिये कि मरते वक़्त न जाने मेरा ईमान सलामत रहेगा या नहीं ! आह ! जिस त़रह़ आज इसे ले चले हैं, एक दिन मुझे भी इसी त़रह़

1 ... या'नी वोह ज़ात पाक है जो ज़िन्दा है उसे कभी मौत नहीं आएगी।

ले जाया जाएगा, जिस त़रह़ इसे मनों मिट्टी तले दफ़्न किया जाने वाला है, मेरे साथ भी इसी त़रह़ होना है। इस त़रह़ ग़ौरो फ़िक्र करना इ़बादत व कारे सवाब है ﴿9﴾ **जनाज़े** को कन्धा देना सवाब का काम है, नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सा'द बिन मुआ़ज़ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه का **जनाज़ा** उठाया था। (طبقات لابن سعد، 3/329، البنایہ، 3/242 ملخصًا) ﴿10﴾ ह़दीसे पाक में है : "जो जनाज़ा ले कर चालीस क़दम चले उस के चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जाएंगे।" नीज़ ह़दीस शरीफ़ में है : "जो जनाज़े के चारों पायों को कन्धा दे **अल्लाह** पाक उस की ह़त्मी मग़्फ़िरत फ़रमा देगा।" (جوہرۃ النیرہ، ص39، درمختار، 3/158، 159, बहारे शरीअ़त, 1/823) ﴿11﴾ सुन्नत येह है कि एक के बा'द दूसरे यूं चारों पायों को कन्धा दे और हर बार दस दस क़दम चले। पूरी सुन्नत येह है कि पहले सीधे सिरहाने (या'नी सर की सीधी त़रफ़ वाले ह़िस्से से) कन्धा दे फिर सीधी पाइंती (या'नी सीधे पाउं की त़रफ़) फिर उलटे सिरहाने फिर उलटी पाइंती और दस दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए। (فتاوٰی ہندیہ، 1/162, बहारे शरीअ़त, 1/822) बा'ज़ लोग जनाज़े के जुलूस में ए'लान करते रहते हैं : दो दो क़दम चलो ! उन को चाहिये कि इस त़रह़ ए'लान किया करें : **"दस दस क़दम चलो !"** ﴿12﴾ **जनाज़े** को कन्धा देते वक़्त जान बूझ कर ईज़ा देने वाले अन्दाज़ में लोगों को धक्के देना जैसा कि बा'ज़ लोग किसी शख़्सिय्यत के जनाज़े में या जहां मूवी वग़ैरा बनाई जा रही हो वहां करते हैं येह ना जाइज़ व ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ﴿13﴾ **छोटे** बच्चे का जनाज़ा अगर एक शख़्स हाथ पर उठा कर ले चले तो ह़रज नहीं और यके बा'द दीगरे (या'नी एक के बा'द दूसरे) लोग हाथों में लेते रहें। (فتاوٰی ہندیہ، 1/162) औ़रतों

को (बच्चा हो या बड़ा किसी के भी) जनाज़े के साथ जाना **ना जाइज़** व मम्नूअ़ है। (बहारे शरीअ़त, 1/823, 162/3، درمختار) ﴾14﴿ **शौहर** अपनी बीवी के **जनाज़े** को कन्धा भी दे सकता है, क़ब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। सिर्फ़ ग़ुस्ल देने और बिला ह़ाइल (बिग़ैर कपड़े के) बदन को छूने की मुमानअ़त है। (बहारे शरीअ़त, 1/812, 813) ﴾15﴿ **जनाज़े** के साथ बुलन्द आवाज़ से कलिमए त़य्यिबा या कलिमए शहादत या ह़म्दो ना'त वग़ैरा पढ़ना जाइज़ है। (देखिये : फ़तावा रज़विय्या जिल्द 9 सफ़ह़ा 139 ता 158)

जनाज़ा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालो ! मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा मैं हूं

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

"दूसरों की मौत से नसीह़त पकड़ो" के बाईस हुरूफ़ की निस्बत से क़ब्र व दफ़्न की 22 सुन्नतें और आदाब

﴾1﴿ **फ़रमाने इलाही :**

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾
اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿۲۶﴾

(پ29، المرسلات:25،26)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या हम ने ज़मीन को जम्अ़ करने वाली न किया, तुम्हारे ज़िन्दों और मुर्दों की।

इस आयते मुबारका के तह़्त "नूरुल इ़रफ़ान" सफ़ह़ा 927 पर है : "इस त़रह़ कि ज़िन्दे ज़मीन की पुश्त (या'नी पीठ) पर और मुर्दे ज़मीन के पेट में जम्अ़ हैं" ﴾2﴿ मय्यित को दफ़्न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है (या'नी एक ने भी दफ़्ना दिया तो सब बरिय्युज़्ज़िम्मा हो गए, वरना जिस जिस को ख़बर पहुंची थी और न दफ़्नाया गुनहगार हुवा) येह जाइज़ नहीं कि मय्यित को ज़मीन पर रख दें और चारों त़रफ़ से दीवारें क़ाइम कर के बन्द कर दें।

(बहारे शरीअ़त, 1/842) ﴾3﴿ क़ब्रें भी **अल्लाह** करीम की ने'मत हैं कि जिन में मुर्दे दफ़्न कर दिये जाते हैं ताकि जानवर और दूसरी चीज़ें इन की तौहीन न करें ﴾4﴿ सालिहीन (या'नी नेक बन्दों) के क़रीब दफ़्न करना चाहिये कि उन के क़ुर्ब की बरकत इसे शामिल होती है, अगर مَعَاذَاللہ मुस्तहिक़्क़े अ़ज़ाब (या'नी अ़ज़ाब का ह़क़दार) भी हो जाता है तो वोह शफ़ाअ़त करते हैं, वोह रह़मत कि उन (नेक बन्दों) पर नाज़िल होती है इसे (या'नी गुनहगार को) भी घेर लेती है। ह़दीसे पाक में है नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : "अपने अम्वात (या'नी मुर्दों) को अच्छे लोगों के साथ दफ़्न करो।" (حلیۃ الاولیاء، 6/390، رقم:9042) ﴾5﴿ रात को दफ़्न करने में कोई ह़रज नहीं। (الجوہرۃ النیرۃ، ص141) ﴾6﴿ एक क़ब्र में एक से ज़ियादा बिला ज़रूरत दफ़्न करना जाइज़ नहीं और ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। (बहारे शरीअ़त, 1/846, فتاوی ہندیہ، 1/166) ﴾7﴿ जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ले की जानिब रखना मुस्तह़ब है ताकि मय्यित क़िब्ले की त़रफ़ से क़ब्र में उतारी जाए। क़ब्र की पाइंती (या'नी पाउं की जानिब वाली जगह) रख कर सर की त़रफ़ से न लाएं। (बहारे शरीअ़त, 1/844) ﴾8﴿ ह़स्बे ज़रूरत दो या तीन और बेहतर येह है कि क़वी (या'नी त़ाक़त वर) और नेक आदमी क़ब्र में उतरें। औ़रत की मय्यित महारिम उतारें येह न हों तो दीगर रिश्तेदार, येह भी न हों तो परहेज़ गारों से उतरवाएं। (فتاوی ہندیہ، 1/166) ﴾9﴿ औ़रत की मय्यित को उतारने से ले कर तख़्ते लगाने तक किसी कपड़े से छुपाए रखें ﴾10﴿ क़ब्र में उतारते वक़्त येह दुआ पढ़ें : بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ[1] (تنویر الابصار، 3/166) ﴾11﴿

---

1 ... **तरजमा : अल्लाह** के नाम से और **अल्लाह** के रसूल صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दीन पर (क़ब्र में रखता हूं)।

मय्यित को सीधी करवट पर लिटाएं और उस का मुंह क़िब्ले की त़रफ़ कर दें और कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं, न खोली तो भी ह़रज नहीं। (فتاوی ہندیہ، 1/166، جوہرۃ النیرہ، ص140) ﴾12﴿ कफ़न की गिरह खोलने वाला येह दुआ पढ़े : اَللّٰھُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَہٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَہٗ[1] (حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص609) ﴾13﴿ क़ब्र कच्ची ईंटों[2] से बन्द कर दें अगर ज़मीन नर्म हो तो (लकड़ी के) तख़्ते लगाना भी जाइज़ है। (बहारे शरीअ़त, 1/844) ﴾14﴿ अब मिट्टी दी जाए, मुस्तह़ब येह है कि सिरहाने की त़रफ़ से दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें। पहली बार कहें : مِنْھَا خَلَقْنٰکُمْ,[3] दूसरी बार وَفِیْھَا نُعِیْدُکُمْ,[4] तीसरी बार وَمِنْھَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۃً اُخْرٰی[5] कहें। अब बाक़ी मिट्टी फावड़े वग़ैरा से डाल दें। (الجوہرۃ النیرۃ، ص141) ﴾15﴿ जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली है उस से ज़ियादा डालना मकरूह है। (فتاوی ہندیہ، 1/661) ﴾16﴿ हाथ में जो मिट्टी लगी है, उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है (बहारे शरीअ़त, 1/458) ﴾17﴿ क़ब्र चौखूंटी (या'नी चार कोनों वाली) न बनाएं बल्कि इस में ढाल रखें जैसे ऊंट का कोहान, (दफ़्न के बा'द) इस पर पानी छिड़कना बेहतर है, क़ब्र एक बालिश्त ऊंची हो या मा'मूली सी ज़ाइद। (बहारे शरीअ़त, 1/846, मुलख़्ख़सन, ردالمحتار، 3/168) दफ़्न के बा'द क़ब्र पर अज़ान देना कारे सवाब और मय्यित के लिये

1... **तरजमा :** ऐ **अल्लाह**! हमें इस के अज्र से मह़रूम न कर और हमें इस के बा'द फ़ितने में न डाल।

2... क़ब्र के अन्दरूनी ह़िस्से में आग की पकी हुई ईंटें लगाना मन्अ़ है मगर अक्सर अब सिमेन्ट की दीवारों और स्लेब का रवाज है लिहाज़ा सिमेन्ट की दीवारों और सिमेन्ट के तख़्तों का वोह ह़िस्सा जो अन्दर की त़रफ़ रखना है कच्ची मिट्टी के गारे से लेप दें। **अल्लाह** पाक मुसल्मानों को आग के असर से मह़फ़ूज़ रखे। اٰمین بجاہِ خاتَم النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم

3... हम ने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया।

4... और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे।

5... और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे।

निहायत नफ़्अ़ बख़्श है। (फ़तावा रज़विय्या, 5/370, माख़ूज़न) 《18》 मुस्तह़ब येह है कि दफ़्न के बा'द क़ब्र पर सूरए बक़रह का अव्वल व आख़िर पढ़ें, सिरहाने (या'नी सर की जानिब) الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक और पाइंती (या'नी पाउं की त़रफ़) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। (बहारे शरीअ़त, 1/846) 《19》 दफ़्न के बा'द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तह़ब है जितनी देर में ऊंट ज़ब्ह़ कर के गोश्त तक़्सीम कर दिया जाए, कि उन के रहने से मय्यित को उन्स होगा (या'नी मह़ब्बत और अपनाइयत मिलेगी) और नकीरैन का जवाब देने में वह़शत (या'नी घबराहट) न होगी और इतनी देर तक तिलावते क़ुरआन और मय्यित के लिये दुआ़ व इस्तिग़्फ़ार करें और येह दुआ़ करें कि सुवाले नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे। (बहारे शरीअ़त, 1/846, ब तग़य्युर) 《20》 शजरा या अ़ह्द नामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर येह है कि मय्यित के मुंह के सामने क़िब्ले की जानिब त़ाक़ खोद कर उस में रखें, बल्कि "दुर्रे मुख़्तार" में कफ़न पर अ़ह्द नामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इस से मग़्फ़िरत की उम्मीद है और मय्यित के सीने और पेशानी पर بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم लिखना जाइज़ है। एक शख़्स ने इस की वसिय्यत की थी, इन्तिक़ाल के बा'द सीने और पेशानी पर بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم लिख दिया गया, फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा, ह़ाल पूछा, कहा : जब मैं क़ब्र में रखा गया, अ़ज़ाब के फ़िरिश्ते आए, फ़िरिश्तों ने जब पेशानी पर بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم लिखा देखा, कहा : तू अ़ज़ाब से बच गया। (बहारे शरीअ़त, 1/848, درمختار، 3/153، فتاوٰی تاتارخانیہ، 2/170) 《21》 यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم लिखें और सीने पर कलिमए त़य्यिबा لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم) मगर

नहलाने के बा'द कफ़न पहनाने से पहले कलिमे की (या'नी सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली) उंगली से लिखें रोशनाई (INK) से न लिखें (बहारे शरीअ़त, 1/848, ब तग़य्युर, 186/3، ردالمحتار) ﴿22﴾ क़ब्र से मय्यित की हड्डियां बाहर निकल पड़ें तो उन हड्डियों को दफ़्न करना वाजिब है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/406, माख़ूज़न)

"क़ब्र की ज़ियारत सुन्नते मुबारका है" के इक्कीस हुरूफ़ की निस्बत से क़ब्रिस्तान की ह़ाज़िरी की 21 सुन्नतें और आदाब

तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : ﴿1﴾ "मैं ने तुम्हें ज़ियारते क़ुबूर से मन्अ़ किया था, लेकिन अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत करो क्यूं कि येह दुन्या में बे रग़बती का सबब और आख़िरत की याद दिलाती है।" (ابن ماجہ، 252/2، حدیث:1571) ﴿2﴾ जब कोई शख़्स ऐसी क़ब्र पर गुज़रे जिसे दुन्या में जानता था और उस पर सलाम करे तो वोह मुर्दा इसे पहचानता है और इस के सलाम का जवाब देता है। (تاریخ بغداد، 135/6، حدیث:3175) ﴿3﴾ जो अपने वालिदैन दोनों या एक की क़ब्र की हर जुमुआ़ के दिन ज़ियारत करेगा, उस की **मग़्फ़िरत** हो जाएगी और नेकोकार लिखा जाएगा। (شعب الایمان، 201/6، حدیث:7901) ﴿4﴾ क़ुबूरे मुस्लिमीन (या'नी मुसल्मानों की क़ब्रों) की ज़ियारत सुन्नत और मज़ाराते औलियाए किराम व शुहदाए उ़ज़्ज़ाम की ह़ाज़िरी सआ़दत बर सआ़दत और उन्हें ईसाले सवाब मन्दूब (या'नी पसन्दीदा) व सवाब। (फ़तावा रज़विय्या, 9/532) ﴿5﴾ (वलिय्युल्लाह के मज़ार शरीफ़ या) किसी भी मुसल्मान की क़ब्र की ज़ियारत को जाना चाहे तो मुस्तह़ब येह है कि पहले अपने मकान पर (ग़ैर मक्रूह वक़्त में) दो रक्अ़त नफ़्ल पढ़े, हर रक्अ़त में **सूरतुल फ़ातिह़ा** के बा'द एक बार **आयतुल कुर्सी** और तीन बार **सूरतुल इख़्लास** पढ़े और इस नमाज़ का सवाब साह़िबे क़ब्र को पहुंचाए, **अल्लाह**

पाक उस फ़ौत शुदा बन्दे की क़ब्र में **नूर** पैदा करेगा और इस (सवाब पहुंचाने वाले) शख़्स को बहुत ज़ियादा सवाब अ़ता फ़रमाएगा । (فتاوٰی ہندیہ، 5/350) 《6》 मज़ार शरीफ़ या क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाते हुए रास्ते में फ़ुज़ूल बातों में मश्ग़ूल न हों। (فتاوٰی ہندیہ، 5/350) 《7》 क़ब्र को बोसा न दें, न क़ब्र पर हाथ लगाएं। (फ़तावा रज़विय्या, 9/522, 526) बल्कि क़ब्र से कुछ फ़ासिले पर खड़े हो जाएं 《8》 क़ब्र को सज्दए ता'ज़ीमी करना **ह़राम** है और अगर इबादत की निय्यत हो तो **कुफ़्र** है। (फ़तावा रज़विय्या, 22/423) 《9》 क़ब्रिस्तान में उस आ़म रास्ते से जाएं, जहां माज़ी (PAST) में कभी भी मुसल्मानों की क़ब्रें न थीं, जो रास्ता नया बना हुवा हो उस पर न चलें। "फ़तावा शामी" में है : (क़ब्रिस्तान में क़ब्रें मिटा कर) जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना **ह़राम** है। (ردالمحتار، 1/612) बल्कि नए रास्ते का सिर्फ़ गुमान (या'नी शक) हो तब भी उस पर चलना ना जाइज़ व गुनाह है । (درمختار، 3/183) 《10》 कई मज़ाराते औलिया पर देखा गया है कि ज़ाइरीन की सहूलत की ख़ातिर मुसल्मानों की क़ब्रें मिस्मार (या'नी तोड़ फोड़) कर के फ़र्श बना दिया जाता है, ऐसे फ़र्श पर लैटना, चलना, खड़ा होना, तिलावत और ज़िक्रो अज़्कार के लिये बैठना वग़ैरा **ह़राम** है, दूर ही से फ़ातिह़ा पढ़ लीजिये 《11》 ज़ियारते क़ब्र मय्यित के मुवाजहा में (या'नी चेहरे के सामने) खड़े हो कर हो और उस (या'नी क़ब्र वाले) की पाइंती (या'नी क़दमों) की त़रफ़ से जाए कि उस की निगाह के सामने हो, सिरहाने (या'नी सर की जानिब) से न आए कि उसे सर उठा कर देखना पड़े (फ़तावा रज़विय्या, 9/532) 《12》 क़ब्रिस्तान में इस त़रह़ खड़े हों कि क़िब्ले की त़रफ़ पीठ और क़ब्र वालों के चेहरों की त़रफ़ मुंह हो इस के बा'द कहिये :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ **तरजमा :** ऐ क़ब्र वालो ! तुम पर सलाम हो, **अल्लाह** पाक हमारी और तुम्हारी मग़्फ़िरत फ़रमाए, तुम हम से पहले आ गए और हम तुम्हारे बा'द आने वाले हैं। (مرقاۃ المفاتیح، 4/253، تحت الحدیث:1765 ماخوذاً) ﴿13﴾ जो क़ब्रिस्तान में दाख़िल हो कर येह कहे : اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ، اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ، وَسَلَامًا مِّنِّيْ । **तरजमा :** ऐ **अल्लाह** पाक ! (ऐ) गल जाने वाले जिस्मों और बोसीदा हड्डियों के रब ! जो दुन्या से ईमान की ह़ालत में रुख़्सत हुए तू उन पर अपनी रह़मत और मेरा सलाम पहुंचा दे। तो **ह़ज़रते** आदम عَلَيْهِ السَّلَام से ले कर उस वक़्त तक जितने मोमिन फ़ौत हुए सब उस (या'नी दुआ पढ़ने वाले) के लिये दुआए मग़्फ़िरत करेंगे। (مصنف ابن ابی شیبہ، 8/257، حدیث:22) ﴿14﴾ मुस्त़फ़ा जाने रह़मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने रह़मत निशान है : जो शख़्स क़ब्रिस्तान में दाख़िल हुवा फिर उस ने **सूरतुल फ़ातिह़ा, सूरतुल इख़्लास** और **सूरतुत्तकासुर** पढ़ी फिर येह दुआ मांगी : **या अल्लाह !** मैं ने जो कुछ क़ुरआन पढ़ा उस का सवाब इस क़ब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और मोमिन औ़रतों को पहुंचा। तो वोह तमाम मोमिन क़ियामत के रोज़ उस (या'नी ईसाले सवाब करने वाले) के सिफ़ारिशी होंगे। (شرح الصدور، ص311) ﴿15﴾ ह़दीसे पाक में है : "जो ग्यारह बार **सूरतुल इख़्लास** या'नी قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد (मुकम्मल सूरह) पढ़ कर इस का सवाब मुर्दों को पहुंचाए, तो मुर्दों की गिनती के बराबर उसे (या'नी ईसाले सवाब करने वाले को) सवाब मिलेगा।" (درمختار، 3/183) ﴿16﴾ क़ब्र के ऊपर **अगरबत्ती** न जलाई जाए इस में सूए अदब (या'नी बे अदबी) और बदफ़ाली है, हां अगर (ह़ाज़िरीन को) ख़ुश्बू (पहुंचाने) के लिये (लगाना चाहें तो) क़ब्र के पास ख़ाली जगह

हो वहां लगाएं कि ख़ुश्बू पहुंचाना महबूब (या'नी पसन्दीदा) है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/422, 525, मुल्तक़त़न) ﴾17﴿ आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه एक और जगह फ़रमाते हैं : "सह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़" में ह़ज़रते अ़म्र बिन आ़स رَضِیَ اللهُ عَنْه से मरवी, उन्हों ने दमे मर्ग (या'नी ब वक़्ते वफ़ात) अपने फ़रज़न्द से फ़रमाया : "जब मैं वफ़ात पा जाऊं तो मेरे साथ न कोई नौह़ा करने वाली जाए न **आग** जाए।" (مسلم، ص75، حدیث:192, फ़तावा रज़विय्या, 9/482) ﴾18﴿ क़ब्र पर चराग़ या जलती **मोमबत्ती** वग़ैरा न रखिये, हां रात में राह चलने वालों या तिलावत करने वालों के लिये रोशनी मक़्सूद हो तो क़ब्र की एक जानिब ख़ाली ज़मीन पर **मोमबत्ती** या चराग़ रखिये जब कि वोह ख़ाली जगह ऐसी न हो जहां पहले क़ब्र थी अब मिट चुकी है ﴾19﴿ क़ब्रों की ज़ियारत के लिये येह चार दिन बेहतर हैं : पीर, जुमे'रात, जुमुआ़, हफ़्ता। (فتاویٰ ہندیہ، 5/350) जुमुआ़ के दिन बा'द नमाज़े सुब्ह़ ज़ियारते क़ुबूर अफ़्ज़ल है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/523) ﴾20﴿ मुतबर्रक (या'नी बरकत वाली) रातों में ज़ियारते क़ुबूर अफ़्ज़ल है ख़ुसूसन शबे बराअत। (فتاویٰ ہندیہ، 5/350) इसी त़रह़ मुतबर्रक (या'नी बरकत वाले) दिनों में भी ज़ियारते क़ुबूर अफ़्ज़ल है मसलन ईदैन, 10 मुह़र्रमुल ह़राम और अ़शरए ज़िल ह़िज्जा (या'नी ज़ुल ह़िज्जा के इब्तिदाई 10 दिन) (فتاویٰ ہندیہ، 5/350) ﴾21﴿ क़ब्रिस्तान की ह़ाज़िरी के मौक़अ़ पर इधर उधर की बातों और ग़फ़्लत भरे ख़यालों के बजाए अपनी मौत को याद कर के हो सके तो आंसू बहाइये और गुनाहों को याद कर के ख़ुद को अ़ज़ाबे क़ब्र से ख़ूब डराइये, तौबा कीजिये और येह तसव्वुर ज़ेह्न में जमाइये कि जिस त़रह़ आज येह मुर्दे अपनी अपनी क़ब्रों में अकेले पड़े हैं, अ़न्क़रीब मैं भी इसी त़रह़ अंधेरी क़ब्र में तन्हा पड़ा होउंगा।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

अगले हफ़्ते का रिसाला